

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसचिव जीकरनी  
विश्वविद्यालय की नम्र से ही क्लिक करके त  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बारे से।  
राज्यविभाग विषय पर चर्चा दूर्वा में पञ्च  
व्यवहार तुआ हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य क्लिक करके जारी विस्तर सुनिश्चय हो।



ग्राम : गुलाबगढ़ी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्ट्री : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4520

दिनांक: 09/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर (0751-2427805) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/ठंचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति मण्डेश्वर/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442704)
- (2) प्रो. ओ.पी. अग्रवाल, आचार्य, प्राणिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. राजेन्द्र छटीक, उपाचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेस्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पुष्टि भव्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्ण अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधारित उमय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उल्टादायित विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, शोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 नाह में विरीक्षण बढ़ी करता है तो समिति स्वतः विस्तृत हो जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यात्मक अधीकार / कार्यालय सहायक प्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरियत से विरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को ई.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, शोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के राहिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)